| |
|---|
| दिनांक 03.04.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 03/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अलविदा की नमाज/ईद–उल–फितर त्यौहार के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

**श्री प्रशान्त कुमार,** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को अलविदा की नमाज/ईद–उल–फितर त्यौहार के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः–

- अलविदा की नमाज एवं त्यौहार के दृष्टिगत शांति समितियों के सदस्यों तथा धर्मगुरूओं के साथ बैठक कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाय तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाये।
- त्यौहार रजिस्टर में विगत वर्षों की प्रविष्टियों का अध्ययन कर पुराने एवं सम्भावित विवादों का समय से निस्तारण कराया जाय। किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाय। असामाजिक/अवॉछनीय तत्वों की सूची अद्यावधिक कर आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- आसूचना तंत्र को सक्रिय रखा जाये तथा छोटी से छोटी सूचना को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी तथा उनके समकक्षीय मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त रूप से विवादित स्थानों का भ्रमण कर समस्या का त्वरित समाधान कराया जाय।
- बाजारों, भीड़–भाड़ वाले स्थानो एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस–पास फुट पेट्रोलिंग की जाये तथा नियमित रूप से बीडीएस टीम, स्नाईफर डॉग्स द्वारा एण्टीसेबोटाज चेकिंग करायी जाये। बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था रखी जाये।

- कमिश्नरेट/जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन व सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट/स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यतानुसार की जाये।
- क्यूआरटी टीमों को स्ट्रेटेजिक प्वाइंट पर तैयारी की हालत में रखा जाय।
- जुलूस के मार्गो का पूर्व से निरीक्षण कर लिया जाय। यदि कहीं भी विवाद की स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो उसका तत्काल समाधान कराया जाय।
- ड्रोन कैमरों के माध्यम से मिश्रित/संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, जुलूस के मार्गों विशेषकर जंक्शन प्वाईण्ट्स आदि पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन कराया जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाये तथा उन पर और अधिक सतर्क दृष्टि रखी जाये। असत्य एवं भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाये तथा आवश्यक्तानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।
- यू0पी0–112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो/स्थलों पर किया जाय तथा पुलिस के अन्य पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट्स/संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त/पेट्रोलिंग/चेकिंग करायी जाए।
- दंगा निरोधक उपकरणों की गुणवत्ता, उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्राईकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये।
- समस्त जनपदों में पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम को सक्रिय रखा जाय तथा उनके दायित्वों से भली–भॉति अवगत कराकर उन्हें प्रातः काल नियमित रूप से चेकिंग हेतु रवाना किया जाय।

- लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के सभी पुलिस कर्मियों की यथोचित ब्रीफिंग की जाये, जिससे कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

## जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 02.04.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंधा पुंछा हाईवे कट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–शक्ति 2–अजय राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शक्ति के विरूद्ध जनपद ललितपुर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त अजय राजा के विरूद्ध गम्भीर चोट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–शक्ति निवासी मोहल्ला आजादपुरा थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

2–अजय राजा निवासी बयाना नाला के पास थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

**बरामदगी**

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

## जनपद ललितपुर/थाना महरौनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सामान**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 03.04.2024 को थाना महरौनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ललितपुर टीकमगढ़ बाईपास सुन्दरम ढाबे के पास से पुरस्कार

घोषित अभियुक्त विसदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सामान, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महरौनी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महरौनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–विसदेव निवासी न्यू बस स्टैण्ड टीकमगढ़ थाना व जनपद टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।

**बरामदगी**

1–चोरी के सामान।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

## जनपद रामपुर/थाना पटवाई

- **अवैध सस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 10 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 03.04.2024 को थाना पटवाई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेगमपुरा जंगल से अवैध सस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त विनोद उर्फ बेनामी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 10 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–विनोद उर्फ बेनामी निवासी टिकटगंज थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।

**बरामदगी**

1–07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 10 नाल विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

**जनपद मीरजापुर/थाना चुनार**

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 03.04.2024 को थाना चुनाव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सीखड़ गंगा नदी के किनारे से 03 अभियुक्तों 1–मुकेश 2–सोएब उर्फ साहब 3–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मुकेश निवासी सरैया थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

2–सोएब उर्फ साहब निवासी पड़ाी थाना पड़ाी जनपद मीरजापुर।

3–दीपक निवासी पड़ाी थाना पड़ाी जनपद मीरजापुर।

**बरामदगी**

1–लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

**जनपद रामपुर/थाना सैफनी**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **500 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 03.04.2024 को थाना सैफनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामलीला मैदान के पास से अभियुक्त कल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानो में एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सैफनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–कल्लू निवासी करीमगंज थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

**बरामदगी**

1–500 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद बदायूं /थाना वजीरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना वजीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त टिंकू उर्फ भगवान सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट /थाना मऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

**<u>एसटीएफः दिनांक 17 व 18 फरवरी–2024 को हुई उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र टी0सी0आई0 एक्सप्रेस कम्पनी अहमदाबाद में सेंध लगाकर पेपर लीक कराने वाला मास्टर माइण्ड राजीव नयन मिश्र गिरफ्तार।</u>**

दिनांक 17 व 18 फरवरी–2024 को हुई उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र टी0सी0आई0 (ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया प्रा0लि0) एक्सप्रेस कम्पनी अहमदाबाद सेंध लगाकर पेपर लीक कराने वाला मास्टर माइण्ड राजीव नयन मिश्र को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>**

राजीव नयन मिश्रा पुत्र स्व0 दीनानाथ मिश्रा मूल निवासी ग्राम अमौरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज हाल पता–म0नं0 97 भारत नगर जेके रोड निकट महर्षि पतंजली योगा केन्द्र के पास भोपाल।

**<u>गिरफ्तारी का दिनांक/स्थान/समयः–</u>**

परीचौक के पास से, थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर क्षेत्र दिनांक 02–04–2024 समय लगभग 19.30 बजे।

उल्लेखनीय है कि एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को हुई पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में सेंध लगाकर प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के सम्बन्ध मे सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, नोएडा के पर्यवेक्षण एवं श्री नवेन्दु

कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अक्षय त्यागी एस0टी0एफ0 नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 02–04–2024 को एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 3/4/7/8/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में वांछित अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा भोपाल से दिल्ली आया हुआ है और वह आज किसी से मिलने एलजी चौक, ग्रेटर नोएडा के पास जायेगा। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी करके अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 32 साल है और उसने सत्यसाई यूनिवर्सिटी, भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग में बी0टेक किया है। माता–पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसने अपने मामा के यहॉ रहकर पढाई की तथा वर्श–2010 में बी0टेक करने के लिए टी0आई0टी0 कालेज भोपाल में एडमिशन लिया, यहीं पर इसकी मुलाकात मधुबनी बिहार निवासी सुभाश प्रकाश एंव अतुल वत्स से हुई। यह दोनो भोपाल के विभिन्न कालेजों में पैसा लेकर एडमिशन कराने का गैंग चलाने लगे। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा की वर्ष 2019 में तरूणेश अजारिया उर्फ गुरूजी (जो भोपाल का रहने वाला था और पैसा पेपर लीक कराकर भर्ती कराने का गैंग चलाता था।) अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने तरूणेश अजारिया के साथ मिलकर भोपाल के एन0एच0एम0 के अन्तर्गत नर्सिग स्टाफ की भर्ती का पेपर लीक कराया जिसमें अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा, तरूणेश अजारिया के साथ ग्वालियर से जेल गया था। इस सम्बन्ध में ग्वालियर क्राईम ब्रॉच पर मु0अ0सं0 15/23 धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। अतुल वत्स ने अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा की मुलाकात डा0 शरद से कराई थी, जो पेपर लीक कराने का गैंग चलाता था और गौतमबुद्धनगर निवासी रवि अत्री से भी जुड़ा हुआ था। डा0 शरद के माध्यम से अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा की मुलाकात रवि अत्री से हो गयी थी। इसके बाद रवि अत्री एवं

अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने मिलकर उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया था। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर रीवा मध्य प्रदेश के शिव महाशक्ति रिसोर्ट में लगभग 300 परीक्षार्थियों को पेपर पढाया था तथा अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा द्वारा रवि अत्री एंव विक्रम पहल उर्फ हवलदार व अन्य गैंग के अन्य सदस्यों के साथ गुरूग्राम हरियाणा के ग्रीन वैली रिसोर्ट में काफी अभ्यार्थियों को पेपर पढाया गया था। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने पूछताछ में यह भी बताया कि जनपद झांसी में बन्द मोनू गुर्जर और रजनीश रंजन तथा गौतमबुद्धनगर जेल में बन्द मोनू पंडित, गौरव तथा प्रमोद पाठक पुराने परिचित हैं तथा सभी मिलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार से धांधली करके पैसा लेकर भर्ती कराने का गैंग चलाते हैं।

अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि एवं 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अभियोग में वांछित चल रहा था जिसको गिरफ्तार कर इस अभियोग में दाखिल कराया गया है। थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना उ0प्र0 एस0टी0एफ0 की यूनिट मेरठ द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा से अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में गहनता से छानबीन की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है-</u>**

1— मु0अ0सं0 522/21 धारा 420/467/468/471 भादवि एवं 66 डी आईटी एक्ट थाना कोखराज जनपद कौषाम्बी ।

2— मु0अ0सं0 15/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि ग्वालियर क्राईम ब्रान्च ग्वालियर मध्य प्रदेष।

3— मु0अ0सं0 166/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि एवं 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना कंकरखेडा मेरठ।

———————